"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205-इ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2005—भाद्र 11, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2005

क्रमांक 7066/21-अ/प्रारुपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 24-8-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 16 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005

विषय-सूची

खण्ड :

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 16 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005

राजकोषीय प्रबंध में विवेक, सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को उत्तरदायित्व सौंपने, राजस्व घाटे की क्रमिक समाप्ति, द्वारा वित्तीय स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कटौती, राजकोषीय वहनीयता के अनुसार विवेकपूर्ण ऋण प्रबंध, सरकार के राजकोषीय कार्यों में अधिकाधिक पारदर्शिता और मध्यावधि ढांचे तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों में राजकोषीय नीति के संचालन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 कहा जाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) ''बजट'' से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य विधानमण्डल के सदन में रखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण;

(ख) ''चालू वर्ष'' से अभिप्रेत है आगामी वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष;

(ग) ''आगामी वर्ष'' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है;

(घ) ''वित्तीय वर्ष'' से अभिप्रेत है, 1 अप्रैल से शुरू होने वाला और आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;

(ङ) ''जीएसडीपी'' से अभिप्रेत है वर्तमान बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद;

(च) ''राजकोषीय घाटा'' से अभिप्रेत है राजस्व प्राप्तियों, ऋण की वसूली और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक होने वाले सकल वितरण (ऋण चुकौतियों को छोड़कर);

(छ) ''राजकोषीय संकेतक'' से अभिप्रेत है ऐसा संकेतक जैसा कि राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए विहित किया जाए;

(ज) ''राजकोषीय लक्ष्य'' से अभिप्रेत है अंकीय उच्चतम सीमा और राजकोषीय संकेतकों के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों या जीएसडीपी का अनुपात;

(झ) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ञ) ''पिछले वर्ष'' से अभिप्रेत है चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष;

(ट) ''राजस्व घाटा'' से अभिप्रेत है राजस्व व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियां (टीआरआर) के बीच का अंतर;

स्पष्टीकरण :—''कुल राजस्व प्राप्तियों'' (टीआरआर) में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (कर और करेत्तर दोनों) तथा केन्द्र से चालू अंतरण (अनुदान और केन्द्रीय करों में राज्य के अंश सहित) शामिल है;

(ठ) ''कुल देयताओं'' से अभिप्रेत है राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत आने वाली देयताएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं विशेष प्रयोजन के साधन, गारंटी सहित तथा अन्य समकक्ष लिखतों द्वारा लिए गए उधार शामिल होंगे जिसमें मूलधन या ब्याज का शोधन राज्य बजट से किया जाता है.

राजकोषीय प्रबंध सिद्धांत.

3. (1) राज्य सरकार राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा कम करने के समुचित उपाय करेगी जिससे राजस्व घाटा 31 मार्च, 2009 तक दूर हो जाए तथा राजकोषीय घाटा को 31 मार्च, 2009 तक जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक नीचे लाया जा सके.

(2) राज्य सरकार इसके द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी—

(अ) इस अधिनियम के प्रारंभ होने तथा 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा के कमी के लिए वार्षिक लक्ष्य,

(ब) समाश्रित दायित्व के रूप में प्रत्याभूति तथा कुल दायित्वों के जीएसडीपी के प्रतिशत का वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण.

परन्तु आंतरिक व्यवधान अथवा प्राकृतिक आपदाओं या कोई ऐसा विशिष्ट आधार जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के कारण राज्य सरकार के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबन्ध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्यधीन बढ़ सकेगा.

विधान सभा के समक्ष रखने के लिए राजकोषीय नीति का विवरण.

4. (1) राज्य सरकार हर-एक वित्तीय वर्ष में विधान सभा के सदन में वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांगों के साथ निम्नलिखित विवरण रखेगा, अर्थात् :—

(क) वृहद् आर्थिक संरचना विवरण;

(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण; और

(ग) राजकोषीय नीति योजना विवरण.

(2) वृहद आर्थिक संरचना विवरण यथानिर्धारित स्वरूप में होगा और उसमें राज्य की अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन, वृद्धि का विश्लेषण और जीएसडीपी की क्षेत्रीय संरचना, राज्य सरकारी वित्त और भावी संभावनाओं से संबंधित मूल्यांकन शामिल होगा. विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वृहद आर्थिक संरचना विवरण में निम्नलिखित से संबंधित मूल्यांकन शामिल किया जाएगा :—

(एक) जीएसडीपी में वृद्धि

(दो) राज्य का राजकोषीय संतुलन जैसा कि राजस्व संतुलन और सकल राजकोषीय संतुलन में प्रतिबिंबित हो.

(3) (एक) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण राज्य सरकार के राजकोषीय प्रबंध के उद्देश्य और अंतर्निहित पूर्वानुमान के स्पष्ट निरूपण के साथ विहित राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन-वर्ष के चल लक्ष्यों के ऐसे स्वरूप में रखा जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए,

(दो) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में विशेषत: और उप धारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राजकोषीय संकेतकों के पीछे विविध पूर्वानुमान और निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का निर्धारण शामिल किया जाएगा :—

(क) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन;

(ख) उत्पादक आस्तियों के निर्माण के लिए ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का प्रयोग;

(4) राजकोषीय नीति योजना विवरण ऐसे स्वरूप में होगा जैसा कि विहित किया जाए और उसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल होंगी,

(एक) आगामी वर्ष के लिए कराधान, व्यय, ऋण लेने और अन्य देयताओं, ऋण देने, निवेश, अन्य आकस्मिक देयताओं, सार्वजनिक सम्पत्ति/उपयोगिताओं के लिए उपयोगकर्त्ता प्रभार एवं गारंटी जैसी गतिविधियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की राजकोषीय नीतियां जिनके संभाव्य बजटीय निहितार्थ होते हैं;

(दो) आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनागत प्राथमिकताएं;

(तीन) महत्वपूर्ण राजकोषीय उपाय और कराधान, सब्सिडी, व्यय, ऋण लेना और सार्वजनिक सम्पत्ति/उपयोगिताओं पर उपयोगकर्त्ता प्रभार से संबंधित राजकोषीय उपायों में किसी प्रमुख विचलन के लिए औचित्य;

(चार) राज्य सरकार की वर्तमान नीतियों का मूल्यांकन बनाम धारा 3 में निर्धारित राजकोषीय प्रबंध के सिद्धांत, धारा 4 की उपधारा 3 (1) में मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित राजकोषीय उद्देश्य.

राजकोषीय पारदर्शिता के लिए उपाय.

5. (1) राज्य सरकार सार्वजनिक हित में अपने राजकोषीय कार्यों में अधिकाधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांगें तैयार करने में जहां तक व्यवहार्य हो वहां तक गोपनीयता को कम रखने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी.

(2) विशेषत: और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार बजट के प्रस्तुतीकरण के समय ऐसे स्वरूप में जैसा कि विहित किया जाए, विस्तृत सूचना के साथ निम्नलिखित के संबंध में प्रकटीकरण करेगा;

(एक) लेखाकरण मानकों में उल्लेखनीय परिवर्तन, राजकोषीय संकेतकों की गणना पर प्रभाव डालने वाली या संभाव्य रूप से प्रभाव डालने वाली नीतियां और संव्यवहार;

(दो) अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ऋणों के ब्यौरे.

(3) जब कभी राज्य सरकार बिना शर्त के और ठोस मात्रा में किसी अलग कानूनी संस्था के मूलधन की चुकौती और/या ब्याज अदा करती है तो उसे ऐसी देयता को राजस्व के ऋण के रूप में ऐसे स्वरूप में जैसा कि विहित किया जाए दिखाना चाहिए.

(4) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमण्डल के समक्ष बजट के साथ-साथ सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और संबंधित वेतनों का ब्यौरा देने वाली विशेष विवरणियों का प्रकाशन रखेगी.

अनुपालन लागू करने के लिए उपाय.

6. (1) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री (जो इसमें इसके पश्चात् वित्त मंत्री के रूप में विनिर्दिष्ट है) हर तिमाही में बजट अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षाओं के निष्कर्ष विधान सभा के सदन में रखेंगे.

(2) जब कभी राजकोषीय नीति योजना विवरण या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में उल्लिखित अंतर-वर्षीय लक्ष्यों से या तो राजस्व में कमी आती है या व्यय अधिक होता है तब राज्य सरकार को राजस्व बढ़ाने और/या व्यय में कटौती करने, जिसमें राज्य की समेकित निधि से अदा और विनियोजित की जाने वाली राशियों में कटौती शामिल है, के लिए यथोचित उपाय करने चाहिए.

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अंतर्गत राज्य की समेकित निधि पर ऐसे प्रभारित व्यय या अन्य किसी व्यय पर इस उप-धारा में कोई लागू नहीं होगा जो किसी करार या संविदा के अंतर्गत करना आवश्यक है और जिसे स्थगित या कम नहीं किया जा सकता.

(3) (एक) इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधान को छोड़कर इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार पर डाली गई किसी बाध्यता की पूर्ति में विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना किसी विचलन की अनुमति नहीं होगी.

(दो) जब अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण राज्य सरकार पर इस अधिनियम के अंतर्गत डाली गई बाध्यता की पूर्ति में कोई विचलन होता है तब वित्त मंत्री विधान सभा के सदन में निम्न-लिखित को स्पष्ट करते हुए बयान देंगे :—

(क) इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार पर डाली गई बाध्यता की पूर्ति में ऐसा विलचन;

(ख) क्या ऐसा विचलन भारी मात्रा में और वास्तविक या संभाव्य बजटीय परिणामों से संबंधित है; तथा

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय.

नियम बनाने की शक्ति.

7. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए नियम बना सकेगी.

(2) ऐसे नियमों में विशेषत: और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित बातों के बारे में सभी या किसी का प्रावधान होगा, अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किये जाने वाले वार्षिक लक्ष्य;

(ख) धारा 4 की उपधारा (3) (एक) के प्रयोजन के लिए निर्धारित किये जाने वाले राजकोषीय संकेतक;

(ग) धारा 4 के अंतर्गत वृहद् आर्थिक संरचना विवरण, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण तथा राजकोषीय नीति योजना विवरण का स्वरूप;

(घ) धारा 5 की उपधारा (2) तथा (3) के अंतर्गत प्रकटीकरण का स्वरूप;

(ङ) अनुपालन लागू करने के उपाय;

(च) अन्य कोई बात जो आवश्यक हो या विहित की जाए.

8. इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाएंगे. **नियमों का विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना.**

9. इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अथवा कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गयी अथवा किए जाने के लिए अशयित किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी. **सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.**

10. इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध वाद या कार्रवाई सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा. **सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार का वर्जन.**

11. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होगा तथा उसका अल्पीकरण नहीं करेगा. **अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं.**

12. (1) यदि, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने से कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्रावधान कर सकती है जो कठिनाई को दूर करने के लिए जैसा कि आवश्यक हो इस विधेयक के उपबंधों के असंगत न हो. **कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.**

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा.

(2) इस धारा के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक आदेश राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2005

क्रमांक 7066/21-अ/प्रारुपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्र. 16 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2005)

THE CHHATTISGARH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005

A Bill to provide for the responsibility of the State Government to ensure prudence in fiscal management and fiscal stability by progressive elimination of revenue deficit, reduction in fiscal deficit, prudent debt management consistent with fiscal sustainability, greater transparency in fiscal operations of the Government and conduct of fiscal policy in a medium term framework and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh State Legislature in the fifty-sixth year of the Republic of India as follows :—

Short Title, extent and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

(2) It extends to the whole of State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires :—

(a) "Budget" means the annual financial statement laid before the House of the State legislature under Article 202 of the Constitution.

(b) "Current year" means the financial year preceding the ensuing year;

(c) "Ensuing year" means the financial year for which the budget is being presented;

(d) "Financial year" means the year beginning on the 1st April and ending on 31st March next following;

(e) "GSDP" means Gross State Domestic Product at current market prices.

(f) "Fiscal deficit" means the excess of aggregate disbursements (net of debt repayments) over revenue receipts, recovery of loans and non-debt capital receipts, during a financial year;

(g) "Fiscal indicators" means such indicators as may be prescribed for evaluation of the fiscal position of the State Government;

(h) "Fiscal targets" means the numerical ceilings and proportions to total revenue receipts (TRR) or GSDP for the fiscal indicators;

(i) "Prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(j) "Previous year" means the year preceding the current year;

(k) "Revenue deficit" means the difference between revenue expenditure and total revenue receipts (TRR);

Explanation :—"Total revenue receipts' (TRR) includes State's own revenue receipts (both tax and non-tax) and current transfers from the Centre (comprising grants and State's share of Central taxes);

(l) "Total liabilities" means the liabilities under the Consolidated Fund of the State and the Public Account of the State and includes borrowings by the public sector undertakings and the special purpose vehicles and other equivalent instruments including guarantees where the principal or interest are to be serviced out of the State budget.

Fiscal management principles.

3. (1) The State Government shall take appropriate measures to reduce the fiscal deficit and revenue deficit so as to eliminate revenue deficit by the 31st March, 2009 and bring fiscal deficit down to 3% of the GSDP by the 31st March 2009.

(2) The State Government shall, by rules made by it, specify—

(a) the annual targets for the reduction of fiscal deficit and revenue deficit during the period beginning with the commencement of the Act and ending on 31st March, 2009.

(b) The annual targets of assuming contingent liabilities in the form of guarantees and the total liabilities as a percentage of GSDP.

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this section on the ground or grounds of unforeseen demands on the finances of the State Government arising out of internal disturbance or natural calamity or such other exceptional grounds as the State Government may specify.

Fiscal policy statements to be laid before the legislature.

4. (1) The State Government shall in each financial year lay before the State Legislature, the following statements of fiscal policy along with the annual financial statement and demands for grants, namely :—

(a) The Macroeconomic Framework Statement;

(b) The Medium Term Fiscal Policy Statement; and

(c) The Fiscal Policy Strategy Statement.

(2) The Macroeconomic Framework Statement shall contain an overview of the State economy, an analysis of growth and sectoral composition of GSDP, an assessment related to State Government finances and future prospects. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions the macro-economic framework statement shall contain an assessment relating to—

(i) The growth in the GSDP

(ii) The fiscal balance of the State Government as reflected in the revenue balance and gross fiscal balance.

(3) (i) The Medium Term Fiscal Policy Statement shall set forth in such form as may be prescribed the fiscal management objectives of the State Government and three-year rolling targets for the prescribed fiscal indicators with clear enunciation of the underlying assumptions.

(ii) In particular and without prejudice to the provisions contained in sub-section (1), the Medium Term Fiscal Policy Statement shall include the various assumptions behind the fiscal indicators and an assessment of sustainability relating to :—

(a) the balance between revenue receipts and revenue expenditure;

(b) the use of capital receipts including borrowings for generating productive assets;

(4) The Fiscal Policy Strategy Statement shall be in such form as may be prescribed and shall contain, inter alia :—

(i) the fiscal policies of the State Government for the ensuing year relating to taxation,expenditure,borrowings and other liabilities, lending, investments, other contingent liabilities, user charges on public goods/utilities and description of other activities, such as guarantees and activities of Public Sector Undertakings which have potential budgetary implications;

(ii) the strategic priorities of the State Government in the fiscal area for the ensuing year;

(iii) the key fiscal measures and the rational for any major deviation in fiscal measures pertaining to taxation, subsidy, expenditure, borrowings and user charges on public goods/utilities; and

(iv) an evaluation of the current policies of the State Government vis-a-vis the fiscal management principles set out in Section 3 and the fiscal objectives set out in the Medium-Term Fiscal Policy Statement in sub-section 3 (1) of section 4.

Measures for Fiscal Transparency.

5. (1) The State Government shall take suitable measures to ensure greater transparency in its fiscal operations in the public interest and minimise as far as practicable, secrecy in the preparation of the annual financial statement and demands for grants.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall, at the time of presentation of the budget, make disclosures on the following, along with detailed information in such forms as may be prescribed :

(i) the significant charges in the accounting standards, policies and practices affecting or likely to affect the computation of fiscal indicators;

(ii) details of borrowings by way of Ways and Means Advances/Overdraft availed of from the Reserve Bank of India.

(3) Whenever the State Government undertakes to unconditionally and substantially repay the principal amount and/or pay the interest of any separate legal entity, it has to reflect such liability as the borrowing of the State in such form as may be prescribed.

(4) The State Government shall in each financial year lay before the State Legislature the special statements along with the budget giving in detail the number of employees in Government, public sector and aided institutions and related salaries.

6. (1) The Minister-in-Charge of the Department of Finance (hereinafter referred to as Minister of Finance) shall review, every quarter, the trends in receipts and expenditure in relation to the budget estimates and place before the State Legislature, the outcome of such reviews. **Measures to Enforce Compliance.**

(2) Whenever there is either short fall in revenue or excess of expenditure over the intra-year targets mentioned in the Fiscal Policy Strategy Statement or the rules made under this Act, the State Government shall take appropriate measures for increasing revenue and/or for reducing the expenditure including curtailment of the sums authorised to be paid and applied form out of the Consolidated Fund of the State.

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State under clause (3) of Article 202 of the Constitution or any other expenditure, which is required to be incurred under any agreement or contract, which cannot be postponed or curtailed.

(3) (i) Except as provided under this Act, no deviation in meeting the obligations cast on the State Government under this Act, shall be permissible without approval of Legislature.

(ii) Where owing to unforeseen circumstances, any deviation is made in meeting the obligations cast on the State Government under this Act, the Minister of Finance shall make a statement in the State Legislature explaining :—

(a) such deviation in meeting the obligations cast on the State Government under this Act;

(b) whether such deviation is substantial and relates to the actual or the potential budgetary outcomes; and

(c) the remedial measures the State Government proposes to take.

7. (1) The State Government may, make rules for carrying out the provisions of the Act. **Power to Make Rules.**

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the annual targets to be specified under sub-section (2) of section 3;

(b) The fiscal indicators to be prescribed for the purpose of the sub-section (3)(i) of section 4;

(c) The forms of the Macroeconomic Framework Statement, Medium-Term Fiscal Policy Statement and Fiscal Policy Strategy Statement under section 4;

(d) The forms for disclosure under sub-section (2) and sub-section (3) of section 5;

(e) Measures to enforce compliance; and

(f) Any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

Rules to be laid before legislature.

8. Every rule made under this Act shall be laid before the State Legislature.

Protection of action taken in good faith.

9. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer of the State Government or any other person exercising any power or discharging any function or performing any duty under this Act, for anything done in good faith or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

Bar of Jurisdiction of Civil Courts.

10. No Civil court shall entertain any suit or proceeding against any decision made or order passed by any officer or authority under this Act or any rule made thereunder.

Act not in derogation of any other law.

11. The Provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force.

Power to remove difficulties.

12. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Act, the State Government may, by order pubished in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act as may be deemed necessary for removing the difficulty.

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of the Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, before the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to provide for the responsibility of the State Government to ensure fiscal and financial stability and sustainability by achieving sufficient revenue surplus, reducing fiscal deficit and prudent debt management through limits on State Government borrowings, government guarantees, greater transparency in fiscal operations of the State Government and use of a medium term fiscal framework, it was considered necessary to enact a law.

Hence this bill.

Raipur

Date , 2005.

Member-in-charge

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.